अजमेर : ऑपरेशन शिल्ड के तहत मॉक ड्रिल में प्रशासन की तत्परता दिखी

अभ्यास के तहत हवाई हमले की काल्पनिक स्थिति को दर्शाया

अजमेर, (निसं)। अजमेर जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर सजगता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शनिवार को द्वितीय सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शिल्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

इस अभ्यास के तहत हवाई हमले की काल्पनिक स्थिति को दर्शाया गया। इसमें शत्रु द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से मिलिट्री कंपाउंड पर हमला किया गया। धमाकों के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में आपातकालीन सायरन बजा। सभी विभागों को सतर्क किया गया। सायरन की आवाज सुनते ही जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग एवं सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर सक्रिय हो गई। राहत एवं बचाव कार्यों की शुरुआत तत्काल की गई। फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच गई। घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को त्वरित रूप से एंबुलेंस के माध्यम से अस्थाई अस्पताल भेजा गया। प्रशासन की गाड़ियों से भी घायलों को ले जाया गया।

इस अभ्यास का नेतृत्व जिला कलेक्टर लोकबंधु द्वारा किया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर संपूर्ण राहत कार्य की निगरानी की और सभी विभागों की तत्परता एवं रिस्पॉन्स टाइम को जांचा। जिला कलक्टर ने पूर्व मॉक ड्रिल से मिले अनुभवों को आधार बनाते हुए इस बार और बेहतर समन्वय स्थापित करने को जोर दिया। अभ्यास के दौरान सेना भी पूर्ण रूप से मुस्तैद रही। सेना के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर ड्रिल को वास्तविकता के करीब पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। सिविल डिफेंस ने आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की। पुलिस द्वारा घटना स्थल से अस्थाई चिकित्सालय के मार्ग को आपातकालीन परिस्थिति के अनुसार यातायात रहित रखा गया।

रेजिडेंस कंपाउंड स्थित बहुमंजिला इमारत में भी मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। घटनास्थल पर घायलों की सहायता जैसी परिस्थितियों को सजीव रूप में प्रदर्शित किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में परिसर की बार-बार जांच कर पीड़ित व्यक्तियों की खोज की गई। घायलों के कीमती सामान को सुरक्षित रखा गया। इनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर कीमती सामान सम्बधिन्त व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया।

प्रशासन द्वारा लगातार घायलों के स्वास्थ्य पर नजर रखी गई। सायरन सुनते ही आम नागरिकों से अपेक्षित सधी हुई प्रतिक्रिया देखने को मिली। राहगीरों ने तत्काल सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया। इससे अभ्यास में जन सहभागिता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ।

मॉक ड्रिल में मिशन स्कूल परिसर में बनाए गए अस्थाई अस्पताल में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए त्वरित चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। जिला कलक्टर लोक बंधु के निर्देशन में स्थापित अस्थाई चिकित्सालय में हादसे के दौरान घायल हुए व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए लाया गया। यहां माय भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट तथा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने घायलों के उपचार में सहयोग प्रदान किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्स्ना रंगा के मार्गदर्शन में चिकित्सा दल द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। सामान्य चोट वालों को हरा, साधारण घायल को पीला तथा गंभीर घायलों को हरे टैग से चिह्नित किया गया था। गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों टेग संख्या 7 एवं 8 की स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया।

अस्थाई अस्पताल में नियुक्त चिकित्सक दल के साथ प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के द्वारा घायलों का उपचार किया गया। चिकित्सकों की सतर्कता और त्वरित निर्णय क्षमता के कारण सभी को समय पर उपचार मिल सका। मौके पर जीवन रक्षक दवाओं के साथ-साथ 30 युनिट रक्त भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया।

अभ्यास के तहत राहत एवं बचाव कार्यों की शुरुआत तत्काल की गई।

- शत्रु द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से मिलिट्री कंपाउंड पर हमला किया गया
- धमाकों के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में आपातकालीन सायरन बजा, सभी विभागों को सतर्क किया गया

थानों में जब्त अवैध मादक पदार्थ को जलाकर नष्ट किया

अवैध मादक पदार्थ को मोड़क स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री के बोयलर में जलाया

कोटा ग्रामीण के 13 थानों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया।

कोटा, (निसं)। कोटा ग्रामीण के 13 पुलिस थानों में जब्त अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा, गांजा व स्मैक को मोड़क स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री के बोयलर में जलाकर नष्ट किया।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि न्यायालय से भौतिक सत्यापन और निर्णय के बाद जिला औषधि व्ययन समिति द्वारा ग्रामीण थाना मोड़क के मंगलम सीमेन्ट फैक्ट्री के बोयलर भट्टी में अवैध मादक पदार्थ को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस द्वारा करीब 3960 किलो 152 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा, गांजा व स्मैक को नष्ट करने की कार्यवाही की गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि जिले के सुल्तानपुर, बूढ़ादीत, अयाना, खातौली, सहित कुल 13 थानों में दर्ज 29 प्रकरणों में अवैध मादक पदार्थ 3950 किलो डोडा-चूरा, 10 किलो गांजा एवं 152 ग्राम स्मैक को पुलिस द्वारा तस्करों के कब्जे से जब्त किया गया था। उक्त सभी 29 प्रकरणों में जब्तशुद्धा अवैध मादक पदार्थों को जिला औषधि व्ययन समिति ग्रामीण द्वारा थाना मोड़क के मंगलम सीमेन्ट फैक्ट्री के सुरक्षा प्रभारी सत्येन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त सुरक्षा प्रभारी रामकिशोर पांडे की उपस्थिति में मंगलम सीमेन्ट फैक्ट्री के बोयलर भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया। कार्यवाही के दौरान ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा भी मौजूद थे।

- पुलिस द्वारा करीब 3960 किलो 152 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा, गांजा व स्मैक को नष्ट करने की कार्यवाही की

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को पांच साल की सजा

जालोर, (कासं)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर हारून ने अवैध अफीम का दूध परिवहन करने के आरोपी किशोर कुमार को दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि पुलिस थाना जालोर व एसएसटी टीम द्वारा 16 नवम्बर 2018 को नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों को चैक करते वक्त सायला से जालोर की तरफ एक कार आती नजर आई। उस कार को रूकवाया तथा चालक ने अपना नाम किशोर कुमार पुत्र हडमताराम माली निवासी तिलोडा बताया। कार को अन्य वाहनों की भांति चैक किया तो चालक सीट के नीचे एक लाल रंग की थैली पायी गई। जिसमें एक लाख छत्तीस हजार रूपये व एक प्लास्टिक की थैली में काला तरल पदार्थ अफीम का दूध पाया गया। अवैध अफीम के दूध का वजन करने पर कुल 120 ग्राम पाया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सैशन न्यायाधीश जालोर हारून ने पत्रावली का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी किशोर कुमार को अवैध अफीम का दूध परिवहन करने का दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक ओमप्रकाश व्यास ने की।

जयपुर में कल होने वाला पशु पालकों का धरना स्थगित

2 जून को प्रस्तावित धरना 20 जुलाई तक के लिये स्थगित किया

अजमेर, (कासं)। राजस्थान के जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों एवं जिला दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति के बैनर तले पशु पालकों एवं दुग्ध उत्पादकों का 2 जून हो होने वाला धरना 20 जुलाई तक के लिए स्थगित हो गया है।

अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी ने बताया कि विगत दिनों जोराराम कुमावत, डेयरी एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगें जायज है और मंत्री जोराराम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि नवम्बर एवं दिसम्बर 2024 माह का अनुदान आगामी 1 से 2 दिनों में करवा देंगे। इस सम्बन्ध में मंत्री जोराराम ने अखिल अरोडा, प्रमुख वित्त सचिव, मिड-डे-मील के प्रदेश प्रभारी एवं श्रुति भारद्वाज प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक आर.सी.डी.एफ, जयपुर से वार्ता भी हमारे समक्ष की एवं तत्पश्चात उन्होंने हमे सुझाव दिया कि मुझे थोड़ा समय दो जिससे कि मैं आपका बकाया भुगतान करवा सकुं। इस सम्बन्ध में शनिवार को प्रातः श्रुति भारद्वाज, प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक, आर.सी.डी.एफ जयपुर से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार उन्होंने 20 जुलाई तक का समय मांगा है, जिससे समस्त भुगतान समय पर आप लोगों को करा सके।

जोराराम कुमावत, डेयरी एवं पशुपालन मंत्री एवं श्रुति भारद्वाज प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक आर.सी.डी.एफ के आश्वासन के पश्चात समस्त साथियों की राय के उपरान्त आगामी 2 जून को प्रस्तावित धरना 20 जुलाई तक के लिये स्थगित किया गया है।

- बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रस्तावित था

दरगाह में शिव मंदिर मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई

अजमेर, (कासं)। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में शनिवार को सुनवाई हुई। वादी विष्णु गुप्ता के वकील ने प्रतिवादी दरगाह कमेटी व पुरातत्व विभाग के वकीलों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में परिवादी दायर किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में शनिवार को मामले को लेकर सुनवाई हुई। वादी विष्णु गुप्ता के वकील ने प्रतिवादी दरगाह कमेटी व पुरातत्व विभाग के वकीलों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत किया, इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जुलाई दी। जानकारी के अनुसार गत 19 अप्रैल को वादी विष्णु गुप्ता के वकील निजी कारणों से कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो सके थे। जिसके चलते सीपीसी आदेश 7 (11) के प्रार्थना पत्र पर पेश नहीं हो सके थे और सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख दी गई थी।

- वादी के वकील ने जवाब पेश किया, अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को

स्मैक के साथ तीन गिरफ्तार

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के सायला पुलिस ने शनिवार को सरहद आसाणा में अवैध मादक पदार्थ स्मैक 23.06 ग्राम को किया बरामद तीन आरोपियो को गिरफ्तार किया। अवैध मादक पदार्थ स्मैक तोलने में प्रयुक्त इलेक्ट्रोनिक मोबाइलनुमा कांटा एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल भी जब्त की। बरामद स्मैक की अनुमानित बाजार कीमत 4,61,000 रूपये आंकी गई है। सायला पुलिस थानाधिकारी सुरेन्द्रसिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना हल्का क्षेत्र में सरहद आसाणा में नाकाबंदी व आने जाने वाले संदिग्ध वाहनो की चैकिंग के दौरान मनोहर (22) पुत्र रमेश कुमार, गणपतलाल (23) पुत्र कानाराम भील व सुजाराम (27) पुत्र बगदाराम को दस्तयाब कर अभियुक्त मनोहर के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक 23.06 ग्राम, अभियुक्त गणपतलाल के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक तोलने में प्रयुक्त इलेक्ट्रोनिक मुबाइलनुमा कांटा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया।

नायरा डिपो पर मॉक ड्रिल हुई

पाली, (नि.सं.)। पाली-जोधपुर हाईवे पर स्थित नायरा डिपो पर एयर स्ट्राइक सूचना पर पुलिस-प्रशासन, मेडिकल महकमा सहित अन्य महकमे अलर्ट मोड पर आ गया। शनिवार शाम साढ़े चार बजे जैसे ही सूचना मिली सायरन बजाती एम्बुलेंस, दमकलें तेज गति से नायरा डिपो पहुंची। जहां घायलों को एम्बुलेंस में डालकर तुरंत इलाज के लिए बांगड़ हॉस्पिटल और रोहट हॉस्पिटल पहुचांया गया। दमकलकर्मी वहां आग बुझाने की मॉक ड्रिल करते नजर आए। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल के ट्रोमा, बर्न, आईसीयू में 10 घायलों को भर्ती किया गया। वही रोहट हॉस्पिटल में भी 10 घायलों को भर्ती किया गया। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री, एसपी चुनाराम जाट रोहट और बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे और मॉक ड्रिल की सारी व्यवस्था जांची और घायलों से भी मिले।

डीडवाना जिला मुख्यालय पर मॉक ड्रिल हुई

हवाई हमलों से बचाव को लेकर की गई मॉक ड्रिल

घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

डीडवाना, (निसं)। ऑपरेशन शील्ड के तहत सरकार के निर्देश पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर शनिवार शाम छह बजे मॉक ड्रिल हुई, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी विभागों की आपातकालीन तैयारियों को जांचा और परखा गया।

जानकारी के अनुसार शाम छह बजे जिला प्रशासन को रिजर्व पुलिस लाइन में ब्लास्ट होने की सूचना मिली। जिस पर जिला कलेक्ट्रेट में अचानक हूटर बजने लगा। इसके बाद सभी विभाग तुरंत अलर्ट हो गए और तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा एंबुलेंस मौके पर पहुंची, जहां मौके पर अफरा-तफरी मची हुई थी। इस दौरान अग्निशमन ने रिजर्व पुलिस लाइन में लगी आग पर काबू पाया। वहीं चिकित्सा विभाग व एसडीआरएफ की टीमों ने लगभग 20 घायलों को रेस्क्यू कर उन्हें बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन, जिला पुलिस अधीक्षक अनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन ललित गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और बचाव व राहत दल की हौसला अफजाई की।

इस दौरान जिला कलेक्टर व एसपी ने बताया कि दुश्मन के अचानक हमले और आपातकालीन स्थितियों में कैसे बचाव और राहत अभियान चलाया जाए, इसकी मॉक ड्रिल के जरिए पड़ताल की गई है। साथ ही बचाव व राहत टीमें कितना तैयार हैं, इसका जायजा लिया गया है।

- रिजर्व पुलिस लाइन में हवाई हमले की सूचना पर दौड़ा प्रशासन
- कलेक्टर, एसपी सहित जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुँचे

रिश्वत लेने के मामले में जेडीए के तत्कालीन जेईएन को चार साल की सजा सुनाई

तत्कालीन जेईएन कानाराम पर निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु मौका रिपोर्ट बनाने के एवज में रिश्वत मांगने और प्राप्त करने का आरोप सिद्ध हुआ

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता कानाराम को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं। जोधपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 02 के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने यह फैसला सुनाया। कानाराम पर निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु मौका रिपोर्ट बनाने के एवज में रिश्वत मांगने और प्राप्त करने का आरोप सिद्ध हुआ है। अभियुक्त कानाराम को पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 2016 का है जब कानाराम ने परिवादी धर्मवीर सोनी से पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। बाद में 21 सितंबर 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जोधपुर ग्रामीण द्वारा उन्हें दो हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन दिनेश तिवाड़ी ने 17 गवाह और 37 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने कानाराम को दोषी ठहराया।

- मामला 2016 का है जब कानाराम ने परिवादी धर्मवीर सोनी से पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी

रेलकर्मी ने यात्री का मोबाइल लौटाया

कोटा, (निसं)। रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने के साथ कई बार ईमानदारीपूर्ण, जनसरोकार से जुड़े कार्य कर रेलवे का मान सम्मान बढ़ाते हैं जिसकी आम जनमानस द्वारा सराहना की जाती है। इसी कड़ी में बीते गुरूवार की रात गाड़ी संख्या 12955 पश्चिम एक्सप्रेस से पुणे निवासी जय नामक यात्री का मोबाइल फोन शामगढ़ के पास रेलवे ट्रैक पर गिर गया। जिसकी कीमत 40 हजार रूपये की थी। यात्री का मोबाइल फोन शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात सिनीयर प्वांट्समैन बालाराम बनोधा को मिला। रेलकर्मी बनोधा ने ईमानदारी का परिचय देते हुए फोन में मौजूद नंबरों से यात्री से संपर्क किया और यात्री को सूचित करते हुए सुरक्षित मोबाइल फोन सुपुर्द कर दिया।

एनजीटी ने पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश दिए

भीलवाड़ा, (निसं)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल के न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बैंच ने भीलवाड़ा शहर में पेयजल की बड़े पैमाने पर हो रही बर्बादी के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के कार्यकारी अभियंता को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने यह निर्देश पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत दायर जनहित याचिका पर दिये।

जाजू ने याचिका में बताया कि पीएचईडी द्वारा अनेक स्थानों पर 50 वर्ष पूर्व पेयजल हेतु डाली गई पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त होकर जंग लग चुकी है और इन पाइप लाइनों से प्रतिदिन अनुमानित 50 लाख लीटर पेयजल फिजूल बहकर बर्बाद हो रहा है। शहर में दो दर्जन से अधिक स्थान पानी के निरंतर रिसाव के कारण स्थिर जल जमाव वाले क्षेत्र बन गये हैं। जाजू ने बताया कि जितना पानी फिजूल बहकर बर्बाद हो रहा है इतने पानी से वंचित कॉलोनीवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। एनजीटी ने पीएचईडी भीलवाड़ा के कार्यकारी अभियंता को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित स्थलों का दौरा कर जल के अपव्यय को रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई कर पाइप लाइनों की मरम्मत एवं नये पाइप लाइन डालने और पालना रिपोर्ट एनजीटी में प्रस्तुत करने के आदेश के साथ ही मामले को निस्तारित किया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने उदयपुर में पांच हजार विदेशी सिगरेट जब्त की

उदयपुर, (कासं)। जिले के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने शनिवार को विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस के तहत शहर की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए विदेशी सिगरेट जब्त की है।

सीएमएचओ डॉ.अशोक आदित्य ने बताया कि उदयपुर में विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने शहर में बड़ी कार्रवाई की। दो दुकानों से 5000 से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त की। कृषि मंडी स्थित दक्ष ट्रेडर्स स्टोर से 2000 और कालाजी गोराजी स्थित जी-9 शॉप से 3000 सिगरेट जब्त की गई। उन्होंने बताया कि जब्त की गई सिगरेट के पैकेट पर धूम्रपान जानलेवा है जैसी कोई चेतावनी या चित्र अंकित नहीं थे जो नियमानुसार अनिवार्य है। दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। कार्रवाई के दौरान डिप्टी सीएमएचओ विक्रम सिंह, कोटपा नोडल आफिसर प्रणव भावसार, औषधि नियंत्रक अधिकारी कुलदीप यदुवंशी, नेहा बंसल एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह मौजूद थे।

सीएमएचओ ने बताया कि विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस से 15 दिवसीय विशेष पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान जिले भर में तंबाकू मुक्त अभियान चलाया जाएगा। पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए बीसीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने जिलेभर में टीमों का गठन कर दिया है जो दुकानों पर औचक निरीक्षण करेंगी। अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वाले और बिना चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाए जाएंगे।

- विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस के तहत बिना चेतावनी वाली सिगरेट बेचने वालों पर कार्रवाई
- 15 दिवसीय विशेष पखवाड़े की शुरुआत हुई, जिले भर में तंबाकू मुक्त अभियान चलाया